**<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>**

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.4-1/2026-हिं.अ. दिनांकः 05.06.2026

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**विषयः संस्थान में कार्यरत नियमित वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित करने संबंधी।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत नियमित वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रतिवर्ष अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। संस्थान द्वारा अगस्त, 2026 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र हेतु नियमित वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में नामित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय सदस्यगण स्वैच्छिक रूप से अपने अधीन वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामांकित करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण की अवधि अगस्त, 2026 से जनवरी, 2027 (6 माह, 1 घंटा प्रतिदिन) तक की होगी तथा केवल वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को ही हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

2. हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाएं कार्यालय समय में (शनिवार को छोड़कर) प्रतिदिन एक घंटे की होती हैं।

3. नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता है और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्तव्य की अवहेलना माना जाता है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध द्वारा हिंदी टंकण परीक्षा जनवरी, 2027 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

4. संस्थान की ओर से हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारी को हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

जारी-2/-

5. हिंदी टंकण की परीक्षा में 97%, 95% एवं 90% अंक प्राप्त करने पर संबंधित कर्मचारी को संस्थान की ओर से क्रमशः ₹6,000/-, ₹4,000/- एवं ₹2,000/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

6. संस्थान की ओर से प्रशिक्षण कक्षा में आने-जाने के लिए नामित कर्मचारी को सार्वजनिक वाहन द्वारा 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा करने पर होने वाला वास्तविक मार्ग व्यय देय है।

संस्थान के विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय सदस्यगण अपने अधीन कार्यरत जिन नियमित वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को स्वेच्छा से उपर्युक्तानुसार अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामित करवाना चाहते हैं, वे कृपया संलग्न प्रपत्र में ऐसे कर्मचारीगण के नाम इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर हिंदी अनुभाग को उपलब्ध करा दें। उक्त आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य टंकण प्रशिक्षण हेतु जारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

**(पदम सिंह)**
**वित्त सलाहकार एवं**
**वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)**

<u>वितरणः</u> - सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

**<u>प्रतिलिपिः-</u>**

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
5. प्रभारी-आचार्य (कम्प्यूटर सुविधा) - कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

**संस्थान में कार्यरत नियमित वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत अगस्त, 2026 से प्रारंभ होने वाली हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में नामित करने हेतु नामांकन प्रपत्र**

हिंदी अनुभाग के दिनांक 05.06.2026 के का.ज्ञा. सं.4-1/2026-हिं.अ. के संदर्भ में..............................................................................विभाग/अनुभाग/केन्द्र में कार्यरत श्री/सुश्री ..................................................पदनाम .................................................., को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत अगस्त, 2026 से आरंभ होने वाले सत्र में अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाने की सिफारिश की जाती है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त विभाग/अनुभाग/केन्द्र में हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हिंदी टंकण कार्य हेतु उक्त कर्मचारी की सेवाएं उपयोग में ली जाएंगी।

**अग्रेषित करने वाले अधिकारी/संकायः ..........................................**
**के मोहर सहित हस्ताक्षर**

**वित्त सलाहकार एवं**
**वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)**
<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>